


मध्यप्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, बलराम भवन, भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक / 07 / 2010

क्रमांक एक 1-29/2009/20-1: राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि मध्यप्रदेश पंचायत सविदा शाला शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवा की शर्तों) नियम 2001 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका सविदा शाला शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवा की शर्तों) नियम 2001 एवं संशोधित नियम 2003 के अधीन नियुक्त ऐसे सविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 जो शिक्षण-प्रशिक्षण अर्हता अंतर्गत बी.एड./बी.एड. (विशेष शिक्षा) उपाधि धारित करते हैं, उन्हें मध्यप्रदेश पंचायत/नगरीय निकाय अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तों) नियम 2008 के नियम-5(2) उपनियम-3 में उल्लेखित अनुसूची-दो के अनुक्रमांक-3 के कॉलम (3) में वर्णित प्रावधानों से छूट पट्टा करत हुये सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त किया जाए। यह छूट केवल एक बार के लिए दी जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार



(सी०बी०पट्टवार)

अवर सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग,  
भोपाल दिनांक 15 / 07 / 2010

सूक्रा. क्र. एक 1-29/2009/20-1  
प्रतिलिपि:-

927  
24/5/10

1. सचिव, म.प्र.शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय मंत्रालय भोपाल
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल
3. निज सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. भोपाल
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त/नगरीय प्रशासन एवं विकास/पंचायत एवं गामीण विकास विभाग/जिला/आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल
5. महालेखाकार, म.प्र. खालियर।
6. समस्त संभाग आयुक्त, मध्यप्रदेश
7. आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र/आदिम जाति कल्याण विभाग म.प्र. भोपाल।
8. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग भोपाल
9. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
10. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला, पंचायत/जनपद पंचायत
11. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत/नगर पंचायत मध्यप्रदेश
12. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश
13. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश
14. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश



म.प्र. शासन,  
स्कूल शिक्षा विभाग,  
भोपाल